

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 744
25 जुलाई, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: धान की पराली का प्रबंधन

744. श्री विद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उत्पादित धान की पराली का अन्यत्र प्रबंधन किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान धान की अतिरिक्त पराली की कुल कितनी मात्रा एकत्र किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार अवशिष्टों को एकत्र करने के लिए देश भर में 333 बायोमास संग्रहण डिपो बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे न केवल काफी हद तक पराली जलाने पर रोक लगेगी बल्कि इन राज्यों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संबन्धित उद्योग उक्त प्रस्ताव का वित्तपोषण किस प्रकार करेंगे?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्पन्न धान की पराली के कुशल बाह्य-स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से फसल अवशेष प्रबंधन योजना दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। लाभार्थी/एग्रीगेटर (किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें) और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी/एग्रीगेटर का अंशदान होगा। इस पहल के माध्यम से अगले तीन वर्षों के दौरान 1.5 लाख मीट्रिक टन अधिशेष धान की पराली एकत्र होने की उम्मीद है। प्रत्येक परियोजना की संग्रहण क्षमता 4500 टन/वर्ष मानते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 1.5 मिलियन मीट्रिक टन धान की पराली को एकत्रित करने के लिए कुल 333 परियोजनाएँ स्थापित करनी होंगी। यह पहल स्व-स्थाने विकल्पों के माध्यम से धान की पराली प्रबंधन के प्रयासों को पूरक बनाएगी और धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य बायोमास बिजली उत्पादन और जैव ईंधन क्षेत्रों में विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए धान की पराली की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है और इस प्रकार इन क्षेत्रों में नए निवेश के रास्ते और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
